श्री आरिफ अहसन, निदेशक, खेल विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 15.01.2026 (वृहस्पतिवार) को ऑनलाइन (V.C) के माध्यम से आहूत बैठक की कार्यवाही–

उपस्थित जिला खेल पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

1. समृद्धि यात्रा से संबंधित तैयारी के संबंध में सभी जिला खेल पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि माननीय मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा से संबंधित जिलों में निर्माणाधीन खेल अवसरंचनाओं, पूर्व निर्मित खेल अवसरंचनाओं (प्रखंड स्तरीय आउटडोर स्टेडियम, पंचायत खेल मैदान, खेल क्लब, खेल भवन एवं खेलो इंडिया योजना से संबंधित) का निर्माण ससमय पुर्ण करवाने एवं पूर्व से निर्मित अवसरंचनाओं का प्रतिवेदन 2 दिनों के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

2. माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान जिन जिलों में खेल अवसरंचना एवं निर्माण से संबंधित घोषणाएं की गयी थी, उन स्थलों पर स्वयं निरीक्षण कर देख लें कि वहाँ की अद्यतन स्थिति क्या है एवं क्या सुधार अपेक्षित है? इसका प्रतिवेदन पूर्ण विवरणी के साथ 02 दिनों के अंदर उपलब्ध कराया जाय।

3. विभागीय एवं केंद्र सरकार की योजना अंतर्गत निर्माणाधीन या पूर्व निर्मित खेल अवसरंचनाओं पर माननीय मुख्यमंत्री का भ्रमण कार्यक्रम है अथवा नहीं, इससे अवगत होकर संबंधित जिला खेल पदाधिकारी उन अवसरंचनाओं से संबंधित स्पष्ट प्रतिवेदन 2 दिनों के अंदर उपलब्ध करायेंगे।

4. जिन जिलों में एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र स्वीकृत हैं, प्रारंभ हो गये हैं अथवा प्रारंभ होना हैं। उन खेल प्रशिक्षण एवं आवासन स्थलों में उपलब्ध सुविधाओं या जो कमियाँ है, उन्हें स्वयं निरीक्षण कर उसका स्थल निरीक्षण से संबंधित प्रतिवेदन फोटोग्राफ के साथ 03 दिनों के अंदर उपलब्ध कराया जाय।

5. आप अवगत है कि माननीय मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा में खेल क्लब का भी विषय समाहित है, इसलिए सभी जिला खेल पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे अपने जिलान्तर्गत सभी खेल क्लबों का अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे। साथ ही, जिला खेल पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि उनके जिले में खेल क्लब का गठन अभी भी बाकी है और पोर्टल पर अपलोड नहीं है, इसलिए वे 02 दिनों के अंदर बिहार राज्य खेल प्राधिकरण में संबंधित पदाधिकारी/कर्मी से संपर्क कर इसके गठन के लिए आवश्यक कार्रवाई करवाना सुनिश्चित करेंगे।

यह भी निदेश दिया जाता है कि खेल क्लबों में क्या–क्या क्रियाकलाप करायी जा सकती है एवं उनके क्या सुझाव है, इसके संबंध में सभी जिला खेल पदाधिकारी अपने–अपने जिलों में अध्यक्ष, सचिव इत्यादि के साथ बैठक कर लें एवं साथ में बैठक पंजी में कार्यवाही भी संधारित करें।

6. वैसे जिले जहां कुछ पंचायतों में अभी तक पंचायत खेल मैदान का निर्माण नहीं हो सका है, उसे बनवाने के लिए अपने जिला के मनरेगा डी0पी0ओ0 से संपर्क करें एवं कृत कार्रवाई से विभाग को 03 दिनों में अवगत कराएं।

7. सभी जिलों में क्रियाशील स्टेडियम में खेल प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ करना विभाग का एक लक्ष्य हैं। प्रथम चरण में 100 स्टेडियम को चयनित किया जायेगा, जो क्रियाशील हैं और अच्छे

हैं। इसके संबंध में जिला पदाधिकारी को पत्र प्रेषित किया जायेगा। इन स्टेडियमों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के रूप में जितने भी खिलाड़ियों को जिलों में नौकरियाँ प्रदान की गयी है, उन्हें इसका उत्तरदायित्व दिया जायेगा, ये उत्कृष्ट खिलाड़ी इन स्टेडियमों में विभिन्न आउटडोर खेल विधाओं में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।

8. सभी जिलों में जितने भी खेल क्लबों का गठन हुआ है, इन्हें नजदीकी सरकारी विद्यालय से टैग करना है। इसके बाद इन पंचायत क्लबों को नजदीकी स्कूल के शारीरिक शिक्षा शिक्षक से टैग करना है। इन शारीरिक शिक्षक का उत्तरदायित्व इन खेल क्लब में प्रतिभागिता के लिए ग्रामीण युवाओं (बालक/बालिका) को प्रोत्साहित करना, उनके लिए खेल विधाओं का चयन करना, नामांकन करना, पंजी संधारित करना एवं ऐसे कार्य करना जिससे खेल क्लब सुचारू रूप से संचालित हो।

9. खेल क्लब की समिति निम्नांकित कार्य करेगी–

क. खेल क्लब संचालन का बैठक करना एवं खेल प्रशिक्षण के संबंध में आवश्यक कार्य करना।

ख. आवश्यक खेल उपकरणों की उपलब्धता के संबंध में।

ग. सरकार से प्राप्त निदेशों का अनुपालन करना।

घ. अपने जिला खेल पदाधिकारी के माध्यम से खेल विभाग से सूचनाओं का आदान–प्रदान करना।

ड़. बैठक की कार्यवाही एवं खिलाड़ियों का नामांकन संधारित पंजी में तैयार करना।

10. वर्ष 2024–25 में विद्यालय खेल प्रतियोगित हेतु बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा जिलों में राशि उपलब्ध करायी गयी थी, परंतु जिन जिलों द्वारा अभी तक उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है, वे एक सप्ताह के अंदर उपयोगिता प्रमाण–पत्र बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को भेजते हुए उसकी प्रतिलिपि अचूक रूप से विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

11. जिम उपकरण खरीदने के लिए जिन जिलों ने राशि निकासी नहीं की है एवं जिम उपकरण क्रय की कार्रवाई नहीं की है, वे एक सप्ताह के अंदर यह कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उपकरण के क्रय हेतु जेम पोर्टल को प्रमुखता दें एवं ससमय उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजने की कार्रवाई करें।

उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन अविलंब उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गयी।

20.1.26

(आरिफ अहसन)
निदेशक, खेल।

ज्ञापांक– 01/बैठक–01–01–2026....10..../ पटना/दिनांक–21/01/2026

प्रतिलिपिः– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, खेल विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला खेल पदाधिकारी, खेल विभाग, बिहार एवं आई0टी0 मैनेजर, खेल विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.1.26

निदेशक